



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245980
CG-DL-E-22052023-245980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2145]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945

No. 2145]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/ JYAISHTHA 1, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

का.आ. 2239(अ).—के, सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 का नियम 3 जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार प्रमाणीकरण नियम कहा गया है केंद्रीय सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को सशक्त करता है कि वह इकाईयों से अनुरोध करके, इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन की बरबादी को रोकने, निवासियों के रहन-सहन की सुगमता को बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं की बेहतर पहुँच को समर्थ बनाने हेतु आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे।

और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार को आधार प्रमाणीकरण नियम के नियम 4 द्वारा यथा अपेक्षित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और केंद्रीय सरकार ने तारीख 28 मार्च 2023 को अपने पत्राचार के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकरण नियम के नियम 5 के अनुसरण में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्राधिकृत किया है, जो अधिसूचित करती है कि प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार की उपलब्धता की पहुँच को सुकर बनाने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के स्वामियों के रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के दौरान अपने डिजिटल

प्लेटफार्म पर हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए, स्वैच्छिक आधार पर उद्यमों को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया करनी होगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-01002/1/2023-जीईएन]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2023

S.O. 2239(E).—Whereas, rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the Aadhaar Authentication Rules) empowers the Central Government (in the Ministry of Electronics and Information Technology) to allow Aadhaar authentication by requesting entities in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them, for the purposes specified therein;

And whereas, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises submitted a proposal as required by rule 4 of the Aadhaar Authentication Rules to the Central Government and the said Central Government *vide* its communication dated the 28th March, 2023 has authorised the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to perform Aadhaar authentication for the purposes mentioned therein.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication Rules, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that Aadhaar authentication of enterprises shall be performed, on voluntary basis, using Yes/No authentication facility, during the process of registration of owners of informal micro enterprises on its digital platform, to facilitate access for availing of priority sector lending.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. P-01002/1/2023-GEN]

Dr. RAJNEESH Addl. Secy. and Development Commissioner